आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

# न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 11 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 जून, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

## सरकार बनाम न्यायपालिका

# मोदी की केन्द्र सरकार एवं न्यायपालिका के बीच सम्बन्ध में उतार चढ़ाव जारी

मोदी सरकार ने मई 2014 में भारी बहुमत से जीतने के पश्चात तीन महीनों में ही नेशनल ज्यूडिशियल अपोइंटमेंट कमीशन (NJAC) विधेयक पेश कर दिया जिससे हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों के चयन के लिए बनाई गई अत्यन्त आलोचना भोग चुकी कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया जा सके।

संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। 20 से ज्यादा राज्यों ने इसकी पुष्टि कर दी। परन्तु अक्टूबर, 2915 में, राजनीति में दुर्लभ सर्वसम्मति के इस उत्पाद एनजेएसी को, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर, अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि मंत्री के रूप में चयन समिति में कार्यपालिका की मौजूदगी से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीर खतरा था।

दिसम्बर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता एवं मनोनयन की घोर आलोचना को स्वीकार किया तथा केन्द्र सरकार को इस प्रणाली के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) बनाने का आग्रह किया ताकि इस दो दशक पुरानी प्रणाली में सुधार लाया जा सके।

जनवरी 2015 तक सरकार और न्यायपालिका के बीच सम्बन्धों में मधुरता स्पष्ट नजर आई जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू ने मोदी की खुल कर प्रशंसा की। उन्होंने मोदी को एक अच्छा नेता, एक अच्छा इंसान एवं दूरदर्शी व्यक्ति बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मेरे द्वारा दिये गये किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है। अभी तक न्यायपालिका की मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी कानून को अवैध ठहराने का जो जबरदस्त धक्का सरकार को दिया वो आज भी मोदी सरकार को तकलीफ देता है क्योंकि सरकार ने जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए एनजेएसी को क्रान्तिकारी कदम के रूप में विज्ञापित किया था। इसके बावजूद मोदी सरकार ने सन् 2016 में 126 जजों की नियुक्ति कर रिकॉर्ड बनाया था। परन्तु हाई कोर्ट में 40 प्रतिशत पद रिक्त होने के मामले को लेकर न्यायपालिका लगातार सरकार पर कॉलेजियम की सिफारिशों को रोकने का आरोप लगाती रही।

अप्रैल 2016 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी एल ठाकुर ने सरकार पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक सार्वजनिक सभा को अश्रुपूर्ण वार किया और कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति को रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने न्यायपालिका का पक्ष रखते हुए कार्यपालिका को फटकार लगाई कि वो उन लोगों की न्याय के लिए रोने की आवाजें नहीं सुन रही जो जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके मामले, जजों की कमी के कारण, न्यायालयों में सुने नहीं जा रहे।

केन्द्र सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को बनाने के लिए दिया था। न्यायपालिका ने तब से एमओपी को अंतिम रूप दे दिया है परन्तु सरकार को अभी इस पर अपनी स्वीकृति देकर सील करना है।

यदि एनजेएसी संवैधानिक सिद्धान्तों की लड़ाई थी, तो सन् 2016 में एनडीए सरकार को दो राजनैतिक धक्के जल्दी-जल्दी सहन करने पड़े जब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में राष्ट्रपति के शासन को रद्द कर दिया एवं बर्खास्त कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों को पुनर्जीवित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के दो प्रमुख निर्णयों- विमुद्रीकरण एवं आधार कार्ड की विस्तृत जांच करके सरकार को मुश्किल में डाल दिया। दोनों ही मामले अभी लम्बित हैं। इन दोनों नीतिगत निर्णयों में सरकार का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि एक का मकसद काले धन को बाहर निकालना है और दूसरे का लगभग सभी सौदों को पूर्णतया पारदर्शी बनाना है।

इन असहज सम्बन्धों में बर्दाश्त से बाहर दरार तब पैदा हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से बारम्बार अपने सन् 2016 के मध्य के उस निर्णय का पुनर्परीक्षण करने से मना कर दिया जिसमें उसने प्रत्येक मुठभेड़ में हुई मौत के लिए सशस्त्र सैनिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया चाहे वह उन ''अशांत'' क्षेत्रों में हुई हो जहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट (एएफएसपीए) लागू हो।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को पुन: जांचने के लिए इसके बावजूद भी मना कर दिया जबकि सरकार ने आशंका जताई कि आतंकवाद वाले इलाकों में युद्ध जैसे हालात हैं और यदि सशस्त्र सैनिकों को एफआईआर एवं मुकदमेबाजी में फंसाया गया तो उनके लिए देश की सुरक्षा करना मुश्किल हो जायेगा।

परन्तु ऊपर से असहज दिखने वाले सम्बन्धों में कुछ राहत वाले किस्से भी हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों एक मत थे जब उन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के खातों की जांच का मामला आया जिनको सरकारी राशि की मदद मिलती है। ये दोनों आपराधिक मानहानि के प्रावधानों- भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 की संवैधानिक वैधता के बारे में एक मत थे।

मोदी सरकार को सबसे बड़ी राहत तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें एक कंपनी की डायरी, जो आयकर विभाग के अधिकारियों ने पकड़ी थी, में दर्ज उन प्रविष्टियों के बारे में जांच की मांग की गई थी जिनमें राजनैतिक नेताओं, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, को तथाकथित रूप से रिश्वत देने की राशियां थीं।

## न्यायालयों को भ्रष्ट करार देने वाले सर्वेक्षणों को अवमानना का दोषी ठहराना सही : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी संगठन द्वारा किसी ऐसे सर्वेक्षण को प्रकाशित करना काफी जोखिमभरा बना दिया है जिसमें निचली अदालतों में तथाकथित भ्रष्टाचार को दर्शाया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून इस बात की इजाजत देता है कि एक या अधिक निचली अदालतें हाई कोर्ट में, उन लोगों के विरुद्ध संदर्भ दायर कर सके जो अपमानजनक जांच परिणामों के लिए जिम्मेदार हो।

यह निर्णय 11 वर्ष पुराने एक मामले में आया जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (TII) ने दायर किया था जिसमें इन संस्थाओं के उच्चतम प्रबंधन को जम्मू-कश्मीर के कंगन के मजिस्ट्रेट ने मई 2006 में पूछा कि क्यों न उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही अथवा रनबीर दंड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक मानहानि की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

यह कारण बताओ नोटिस मजिस्ट्रेट ने दैनिक ''ग्रेटर काश्मीर'' में प्रकाशित एक लेख के प्रति आपत्ति जताते हुए जारी किया था, जिसमें सीएमसी द्वारा किये एक सर्वेक्षण का जिक्र किया गया था जिसको टीआईआई ने अधीनस्थ न्यायालयों में ''व्याप्त भ्रष्टाचार'' के शीर्षक से प्रकाशित किया था। परन्तु न तो सीएमसी और न ही टीआईआई के प्रतिनिधि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए और मजिस्ट्रेट ने सन् 2006 में उनके उच्चतम प्रबंधन के विरुद्ध जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये। उन वारंटों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ही रोक लगा दी थी। परन्तु हाल ही में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर, डी वाई चन्द्रचूड़ एवं संजय के कॉल ने वरिष्ठ अधिवक्ता जयन्त भूषण की इस दलील को निरस्त कर दिया कि सर्वेक्षण पक्षकारों से उनके न्यायालय में रहे अनुभवों के आधार पर किया गया था।

## सम्पादकीय ....

# मास्टर प्लान की उपेक्षा

जोधपुर हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान की अनदेखी के कारण घुटते शहरों को संजीवनी देने वाले ऐतिहासिक फैसले की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने पालना कागजी होने पर तल्ख टिप्पणी की कि जिस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है उससे तो अतिक्रमण 50 साल में भी नहीं हटेगा। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व न्यायाधीश अरुण भंसाली की खण्डपीठ ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी के पत्र पर स्व-प्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर करीब तीन घण्टे तक सुनवाई की। इस दौरान न्यायाधीश लोढ़ा ने जहां सरकार की पालना रिपोर्ट पर यह टिप्पणी की कि दो-चार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हाईकोर्ट आदेश की पालना नहीं है, बल्कि यहां तक कह दिया कि सरकार जनहित के इस कार्य को इतना हल्के में कैसे ले सकती है। सुनवाई के दौरान महीने के आखिरी कार्यदिवस को वकीलों के कार्य बहिष्कार के बावजूद न्यायमित्र सहित प्रकरण से जुड़े सभी अधिवक्ता पैरवी को पहुंचे। कोर्ट का समय पूरा होने के बाद भी सुनवाई चलती रही। कोर्ट ने ग्रीष्मावकाश के कारण मामला पालना पर फैसले के लिए कोर्ट के ग्रीष्मावकाश बाद तक टाल दिया।

शुरूआत में एक अन्य याचिकाकर्ता पूनम चन्द भंडारी ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने अवमानना याचिका पेश कर दी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियमित प्रक्रिया के तहत मामला सामने आने पर सुनवाई की। भण्डारी ने कहा, राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर की 11 हजार बीघा जमीन का नियमन कर दिया गया है। जहां पर न अस्पताल का ठिकाना है, न स्कूल और न ही बस स्टेण्ड का। जेएलएन मार्ग पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क जीरो सेटबैक पर बना है। अधिवक्ता अभिनव भण्डारी ने जेडीए द्वारा सड़कों की चौड़ाई घटाने और जयपुर में एक सड़क को जनहित के खिलाफ बताते हुए न्यायालय से नियमित निगरानी का आग्रह किया।

स्थिति यह है कि जेडीए को न तो मास्टर प्लान की चिन्ता है और न ही कोर्ट का भय। जेडीए एक निरंकुश तंत्र बन गया है। मास्टर प्लान को लेकर इससे पूर्व भी माननीय उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित अब्दुल रहमान बनाम सरकार में विस्तृत निर्देश दे चुका है किन्तु जेडीए ने आज तक किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया।

शूटिंग रेंज में नदी-नालों के विस्तृत क्षेत्र में बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी भी निरीक्षण के लिए भेजी थी। किन्तु सुप्रीम कोर्ट का भी जेडीए को कोई भय नहीं है। जेएलएन रोड पर जब चाहे खुद मास्टर प्लान में परिवर्तन कर देता है। चिन्ताजनक स्थिति यह है कि देश की न्यायपालिका भी जेडीए के विरुद्ध कठोर कार्यवाही से परहेज करती है। ऐसी स्थिति में जब तक न्यायालय सख्त रुख नहीं अपनायेगा, मास्टर प्लान की उपेक्षा ऐसे ही होती रहेगी।

# आय-व्यय का ब्यौरा नहीं देने वाले एनजीओ का पंजीकरण रद्द होगा

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) को अपने आय-व्यय का सालाना ब्यौरा 14 जून तक जमा कराने की हिदायत दी है। इस समय सीमा का पालन नहीं करने वाले एनजीओ को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मंत्रालय की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एफसीआरए के तहत पंजीकृत ऐसे एनजीओ की संख्या काफी अधिक हो गई है जिनका सरककार को वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा पिछले पांच साल से नहीं मिला है जबकि इन संगठनों को यह ब्यौरा जमा कराने का अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है।

गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुकेश मित्तल ने जारी निर्देश में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये आय-व्यय का ब्यौरा ऑन लाइन जमा कराने की अंतिम समय सीमा 14 जून तय की गई है। ऐसा नहीं कर पाने वाले एनजीओ का पंजीकरण और नवीनीकरण रद्द कर दिया जायेगा। यह ब्यौरा जमा नहीं करा पाये संगठनों को 15 मई से 14 जून तक का समय दिया गया है। इस अवधि में आय-व्यय का ब्यौरा जमा कराने वाले संगठनों को विलम्ब शुल्क की अदायगी से भी मुक्ति दी गई है। नियमानुसार प्रत्येक एनजीओ को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये एफसीआरए की वेबसाइट पर अपना आय-व्यय का वार्षिक ब्यौरा अपलोड करना अनिवार्य है। सरकार ने ऐसे लगभग 7500 एनजीओ को चिह्नित कर लिया है जिनके ऊपर बीते तीन साल से आय-व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने के कारण पंजीकरण रद्द होने की तलवार लटक रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लाभ के दायरे में ग्रीनपीस, सबरंग ट्रस्ट, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन सहित 1300 एनजीओ को शामिल नहीं किया जायेगा जिनका पंजीकरण एफसीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में पहले ही रद्द किया जा चुका है। पिछले साल नवम्बर में सरकार ने 11000 से अधिक एनजीओ को 28 फरवरी तक अपने पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन करने को कहा था। हालांकि इनमें से केवल 3500 संगठनों ने इस बाबत आवेदन किया, जबकि लगभग 7000 एनजीओ द्वारा आवेदन प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण इनके पंजीकरण की मियाद खत्म होने की कगार पर आ गई है।

### हिंदी को उसका हक दिलाने के लिए निचली अदालत में दायर की थी याचिका

# हिन्दी में पहली बार दायर याचिका खारिज

बाहरी दिल्ली। न्यायालयों में हिन्दी को कामकाज की भाषा बनाने की लगातार उठ रही मांग के बीच रोहिणी जिला अदालत में इस भाषा में दायर याचिका खारिज हो गई। याचिका लगाने वाले को हिन्दी भाषा में याचिका तैयार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस याचिका पर अदालत में सुनवाई की मंजूरी देना ही बड़ी बात है। इसे सरकारी कामकाज में हिन्दी के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि दिल्ली पर किसी निचली अदालत में पहली बार हिन्दी में दायर इस याचिका को खारिज करने के लिए न्यायाधीश ने संबंधित विषय वस्तु को कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होना बताया। यह याचिका हिन्दी भाषा को उसका हक दिलाने के आन्दोलन से जुड़े दिल्ली विकास समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह राणा ने रोहिणी के सीनियर सिविल जज शरद गुप्ता की अदालत में लगाई।

इसमें उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से बारिश के पानी को सड़क पर बहाने से रोकने की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे सड़क के रखरखाव के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। बारिश का पानी सड़कों पर बहाने से जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने इसे जनहित का विषय बताते हुए कोर्ट से डीएमआरसी को वर्षा जल संचयन संयंत्र (रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने मांग की थी कि भविष्य में डीएमआरसी यदि ऐसा करे तो उसके खिलाफ अदालत को संज्ञान लेना चाहिए।

अदालत ने कहा कि याची ने सीपीसी की धारा 91 का हवाला देते हुए याचिका दायर करने की बात कही है, जबकि इस धारा के अनुसार जनहित से जुड़े मामले एडवोकेट जनरल या दो या दो से अधिक लोगों की ओर से कोर्ट में लाए जा सकते हैं। इसमें याची को खुद के हुए नुकसान के बारे में भी बताना होता है, लेकिन इस याचिका में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। याची ने बारिश के पानी के सड़कों पर बहने से खुद को हुए किसी विशेष नुकसान के बारे में जानकारी नहीं दी ळै। अदालत ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002) की धारा 88 के संदर्भ में भी यह याचिका सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से भी बाहर है। ऐसे में इसे खारिज किया जाता है।

# सुप्रीम कोर्ट ने कहा,एनजीओ फंडिंग नियम के लिए बने कानून

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की फंडिंग की लेखा परीक्षा और नियमन के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। इस कानून में डिफाल्टरों पर दीवानी और आपराधिक कार्रवाई को भी शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सरकार द्वारा तैयार मौजूदा दिशा-निर्देश को पर्याप्त और प्रभावी नहीं माना है। अदालत ने सरकार से कानून बनाने या फिर दिशा-निर्देश से ही पूरी प्रक्रिया का नियमन करने पर राय मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। शर्मा ने एनजीओ फंडिंग में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया का नियमन और डिफाल्टरों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई के लिए कानून की जरूरत है। पीठ ने केन्द्र सरकार के वकील से अगली सुनवाई से पहले सरकार से निर्देश लेने को कहा है । पीठ ने यह बताने को कहा है कि सरकार कानून बनाकर पूरी प्रक्रिया का नियमन करना चाहती है या दिशा-निर्देश से ही नियमन करना चाही है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसके इस आदेश से डिफाल्टरों के खिलाफ होने वाली दीवानी और आपराधिक कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। इससे पहले की सुनवाई के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली काउंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट) की ओर से कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल गी गई थी। इसमें सरकारी फंड की अनियमितता और दुरुपयोग पर एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा सौंपा गया था। फंड का दुरुपयोग करने वाले 159 एनजीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। तय प्रक्रिया का पालन न करने पर 718 एनजीओ को काली सूची में रखा गया है। नियमों का पालन करने के बाद उस सूची से 15 एनजीओ के नाम हटाए गए हैं। गत 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के करीब तीस लाख एनजीओ का कोई लेखा-जोखा न होने और एनजीओ के नियमन का तंत्र नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। केन्द्र सरकार से 31 मार्च तक सभी एनजीओ की लेखा जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। फंड का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए एनजीओ के खिलाफ आपराधिक और दीवानी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। सरकार से एनजीओ के नियमन, उन्हें मान्यता देने और उनकी फंडिंग के बारे में दिशा-निर्देश तय करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि एनजीओ को दिया गया फंड जनता का पैसा है। जनता के पैसे का हिसाब रखा जाना चाहिए। सीबीआई की ओर से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, देश में करीब 32 लाख 97 हजार एनजीओ हैं। इनमें से सिर्फ तीन लाख 7000 ने ही अपने खर्च का ब्यौरा सरकार को सौंपा है। शेष एनजीओ ने कोई बैलेंसशीट दाखिल नहीं की है। शीर्ष अदालत के आदेश पर केन्द्र सरकार ने एनजीओ फंडिंग नियमन के लिए दिशा-निर्देश का समग्र मसौदा तैयार कर अदालत में पेश किया। सरकार ने बताया है कि दिशा-निर्देश पर मंत्रालयों को सुझाव भेजा गया है।

# उच्च न्यायालयों में 44 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। समझा जाता है कि सरकार ने उच्च न्यायालय में 44 न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके पहले दो मौकों पर उनके नामों को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को लौटा दिया गया था। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 29 उम्मीदवार इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हैं जबकि दो कर्नाटक उच्च न्यायालय से, सात कलकत्ता उच्च न्यायालय से और छह मद्रास उच्च न्यायालय से हैं।

उच्चतम न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों के निकाय कॉलेजियम ने 10 अप्रैल को उम्मीदवारों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति के अपने फैसले की दूसरी बार पुष्टि की थी। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सिफारिश को दूसरी बार भेजने का फैसला किया था। स्थापित चलन के अनुसार सरकार आमतौर पर उन उम्मीदवारों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति दी जाती है जिनके बारे में कॉलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है लेकिन इधर हाल में मोदी सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर एक से अधिक बार असहमति जता चुकी है। पिछले हफ्ते बंबई और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों के लिए कुल 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1079 है लेकिन 629 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। इस बीच कानून मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि इस साल कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1079 में वृद्धि किए जाने की संभावना कम है क्योंकि मुख्य जोर 24 उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने पर है। देशभर में अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मामले लम्बित हैं।

# 404 शिविर में 48 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण

जयपुर। ग्रामीणों की वर्षों से लम्बित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में चलाए जा रहे राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान जिले में आयोजित चार सौ से अधिक शिविरों में 48 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान की गई। यह शिविर 8 मई से संचालित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के दौरान 8 मई से चलाए जा रहे राजस्व अभियान के दौरान अब तक 404 शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों में ग्रामीण जनता के 48 हजार 246 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर उनको राहत प्रदान की गई है। इसमें उपखंड एवं तहसीलों से सम्बन्धित शिविरों में तहसीलदारों के स्तर पर 43 हजार 329 तथा एसडीएम/एसीएम के स्तर पर 4 हजार 917 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर के स्तर पर आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 4 हजार 229 पुराने एवं 688 नए प्रकरण शामिल हैं। एक्ट 53 में आपसी सहमति से विभाजन के 588 तथा एक्ट 88 में खातेदारी अधिकार के 576 प्रकरण निस्तारित करते हुए कैंपों में लोगों को लाभान्वित किया गया है। एक्ट 136 के तहत इन्द्राज दुरुस्ती के 586, एक्ट 188 में स्थाई निषेधाज्ञा के 324, नामांतरण अपील के 75, रास्ते संबंधी 112, इजराय के 132, पत्थर गढ़ी के 109 सहित 2408 अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

महाजन ने बताया कि तहसीलदारों के स्तर पर राजस्व लोक अदालतों में जिले में अभियान की शुरूआत से अब तक 43 हजार 329 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, इनमें एलआर एक्ट 135 के तहत 8 हजार 559, खाता दुरुस्ती के 7 हजार 304 व खाता विभाजन के 2 हजार 355 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा राजस्व नकल प्रदान करने के 11 हजार 517 तथा 13 हजार 122 अन्य प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की गई। सीमाज्ञान के 382 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा 494 आवेदन भी प्राप्त किए गए। साथ ही नए राजस्व गांवों के लिए 4 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। खातेदारी से खातेदारी के 22 तथा धारा 251 के 62 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया है। उन्होंने बताया कि लोगों को शिविरों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए शिविरों की नियमित एवं सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है जिससे योजना में अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके।

## यदि हम चाहें तो लम्बित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सकता है

1. झूठे शपथ पत्र पर सजा का प्रावधान सख्ती से लागू हो।
2. न्यायालय आदेशों की अवज्ञा में दण्डित किया जाए, न कि समझाइश। क्योंकि इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है जिसके पक्ष में आदेश पारित हुआ है।
3. कानूनी प्रक्रिया (Due Process) को परिभाषित किया जाए।
4. प्रसंज्ञान स्तर पर मुकदमों की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि 80 प्रतिशत मामले तो प्रसंज्ञान स्तर पर ही निपट सकते हैं।
5. न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) वास्तव में न्यायिक अधिकारी के अधीन होनी चाहिए, न कि सजायाफ्ता अपराधियों के साथ जेल में।
6. न्यायिक आदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए इसके नाम के दुरूपयोग पर दंड का प्रावधान हो।
7. सतर्कता विभागों का स्वतंत्र अस्तित्व हो क्योंकि कई बार जिस अधिकारी के विरूद्ध कोई शिकायत लंबित होती है वही अधिकारी सतर्कता विभाग में नियुक्ति पा जाता है ऐसी स्थिति में कैसे लागू हो सकता है दण्ड का विधान।
8. मुकदमों के निर्णय के साथ ही संबंधित पक्ष को दिया जा सकने वाला अर्जा-खर्चा स्पष्ट हो जिससे एक और मुकदमा हर्जा वसूली का ना हो।
9. स्वीकार्य तथ्यों पर साक्ष्य आदि में अनावश्यक विलम्ब से बचा जाए।
10. दीवानी मामलों में प्रश्नावली (इंट्रोगेटरीज) को बढ़ावा दिया जावे।
11. झूठे मुकदमे दायर करने वालों व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने वालों को दण्डित किया जावे।

# 'आनन्द'

आनन्द के मूल स्रोत में है 'सच्चिदानंद'। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है - सत्य + चित्त + आनंद। सत्य एक श्वांस को चेतना पर जाना और चेतना पर से सफल रूप में वापस होना ही आनंद है, जिस मूल शब्द को हम 'सच्चिदानंद' कहते हैं। वर्तमान सामाजिक जीवन वास्तविकता को स्वीकार ककरने में अनदेखी करता रहता है। वर्तमान युग का अभिशाप है कि सत्य को दरकिनार करते हुए मनुष्य भौतिक सुख के आधीन हो गया है, आधीनता के कारण ही हमारी ज्ञानेन्द्रियां (आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा) प्राप्त सुविधाओं के बावजूद इंसान सुख कम और दुःख का एहसास ज्यादा करती है। मनुष्य का पृथ्वी पर आगमन इसलिए नहीं हुआ है कि प्रकृति प्रदत्त एवं भौतिक पदार्थों को मात्र इकट्ठा करने के लिए, बल्कि इसलिए हुआ है कि अपनी वास्तविक जरूरत की चीजों को पूर्ति करते हुए वास्तविकता (परमसत्ता) को जाने। आज का अधिकांश इंसान नाशवान चीजों के प्रति परवश हो गया है और स्वयं नाशवान चीजों को आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करके अपने आपको तनावग्रस्त कर लेता है, उसके बाद कोई पूछता है कि इतनी सीमित स्थान में ढेर सारा सामान इकट्ठा है तो वह यह कहता हुआ पाया जाता है कि ऐसे ही चलता रहता है और यह पार्ट ऑफ लाइफ है। अनावश्यक भार ढोने से ही इंसान को जीते जी दुःख, क्रोध, तनाव पैदा होता है, फिर भी इंसान कहां मानने को तैयार है, उसे तो जीवित रहने तक कुबेर का खजाना चाहिए। इसलिए इंसान को अनावश्यक चीजों से मोह भंग होकर अविनाशी का साक्षात् दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए।

वर्तमान परिवेश, तकनीकी एवं कंप्यूटर से लवरेज है। आज कंप्यूटर मनुष्य के लिए लाइफ बन गई है, लेकिन मनुष्य ने कभी सोचा कि कंप्यूटर में भी दो प्रकार की भूमिका है एक हार्डवेयर तथा दूसरा सॉफ्टवेयर। यदि हार्डवेयर में थोड़ी सी तकनीकी व्यवधान उत्पन्न होता है तो सॉफ्टवेयर का कार्य बाधित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का हार्डवेयर ब्रेन है और पांचों ज्ञानेन्द्रियां सॉफ्टवेयर के रूप में हैं। यदि ब्रेन में थोड़ा सा व्यवधान उपस्थित होता है तो ज्ञानेन्द्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। आवश्यकता है इन ज्ञानेन्द्रियों से ईश्वर प्रदत्त आनंद रूपी ऊर्जा से आनंदित हो। इस जीवन में जीते जी इस शरीर कके माध्यम से माता-पिता, वृद्धजनों की यथोचित सेवा से शक्ति अर्जित की जा सकती है। हरेक मनुष्य के जीवन की आवश्यकता है और समय की मांग है कि समय के सद्गुरु की पहचान होना और उसके बताए मार्ग पर चलना। सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर अमल करने से जीते-जी मनुष्य रूपी जीवन धन्य हो जाएगा।

जीवन की सच्ची सार्थकता को स्वीकार करना है तो सत्य को तलाशें। सत्य सदैव आपके पास है, आवश्यकता है उस स्थान पर पहुंचने की। समाज में अक्सर होता यह है कि लोग जानते और मानते हैं परन्तु पहचान करने में दुविधा करते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति तनावग्रस्त जीवन बिताते हैं, वे अक्सर कितनी दवाओं के माध्यम से सुकून तलाशते हैं, फिर भी उन्हें सुख मय्यसर नहीं होता। यदि वास्तविक आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा करें तो एक दिन वही आनंद परमानंद बनकर लोगों को अपनी प्रसन्नता बांटता दिखाई पड़ेगा। समय आ गया है अब देर न करें, जागृत रहकर तथा समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देकर अपने जीवन को सही मायने में सफल और वास्तविक 'आनंद' से लाभ उठाने का प्रयास करें। आज समाज में खुशियां (आनंद) बांटी जा रही है लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए इंसान कको सच्ची प्यास होनी चाहिए और समय रहते समय के महापुरुष को ढूंढ़ना जरूरी है जिससे ज्ञान रूपी प्यास को प्राप्त कर सकें। महापुरुष अपने ज्ञान को देकर लोगों को आनंदित करते हैं। मेरा मानना है कि जब भी आप समय के महापुरुष को खोज लेते हैं तो आप उनसे ज्ञान/दीक्षा प्राप्त कर लें। समय के महापुरुष से ज्ञान/दीक्षा लेते वक्त छल-कपट को त्याग कर, दूसरा बालक का हृदय लेकर, तब आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद उस ज्ञान से अपने जीवन में अमल लाना है और अपने आपको धन्य बनाना है तब जाकर आपके जीवन में सच्चे रूप में 'सच्चिदानंद' की प्राप्ति होना संभव होगा। इतने सबके बावजूद फिर भी जीवन में उस ज्ञान की साधना करने से इनकार करते हैं तो एक दिन यह उक्ति हर एक इंसान के साथ लागू होगी।

*'हंसा निकल गया पिंजरे से*
*खाली पड़ी रही तस्वीर।'*

अरुण कुमार सिन्हा

# संप्रग सरकार में विमानन घोटाले की सीबीआइ जांच

## एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय में केस दर्ज

नई दिल्ली। कोयला, स्पेक्ट्रम और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के बाद संप्रग सरकार के दौरान हुए एक और बड़े घोटाले से पर्दा उठ सकता है। सीबीआइ ने संप्रग सरकार के दौरान उड्डयन मंत्रालय के चार बड़े फैसलों की जांच शुरू कर दी है। इनमें तीन फैसलों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एक फैसले पर प्रारंभिक जांच का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन फैसलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सीबीआई ने 111 विमानों की खरीद, उन्हें लीज पर निजी विानन कंपनियों को देने और लाभकारी रूटों को निजी विमानन कंपनियों को आवंटित करने की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के मामले में प्रारंभिक जांच का केस दर्ज किया गया है। बहरहाल कांग्रेस के लिए इतनी राहत जरूर है कि 2जी घोटाले की तरह ही कांग्रेस इसका ठीकरा अपने सहयोगी दलों पर फोड़कर बचने की कोशिश करेगी।

सीबीआइ के प्रवक्ता पी.के. गौर ने कहा कि एयर इंडिया और विमानन मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं आपराधिक साजिश के तहत हजारों करोड़ का चूना लगाने के लिए एफआइआर दर्ज की गई है। गलत निर्णयों के कारण तमाम प्रयासो के बावजूद एयर इंडिया की हालत लगातार सुस्त बनी हुई है। इसकी हालत सुधारने के लिए संप्रग सरकार के समय में 30 हजार करोड़ रुपये का 10 वर्षीय पुनरुद्धार पैकेज भी लाया गया जो 2021 तक चलेगा। लेकिन इसके बावजूद एयर इंडिया पर 48 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इनमें से एक-तिहाई कर्ज विमानों की खरीद के कारण पैदा हुआ है। एयर इंडिया के सीएमडी अश्विनी लोहानी ने पिछले दिनों ही अपने ब्लॉग में एयर इंडिया की हालत के लिए इंडियन एयरलाइंस के साथ इसके विलय के गलत फैसले को जिम्मेदार ठहराया था।

# पत्रकार हत्याकांड में शहाबुद्दीन से सीबीआई ने की पूछताछ

नई दिल्ली। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में 10वां आरोपी बनाने के बाद सीबीआई ने राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से पूछताछ शुरू कर दी है। शहाबुद्दीन के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने के लिए जांच एजेंसी उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट (झूठ पकड़ने वाली मशीन पर पूछताछ) करा सकती है। अदालत से आठ दिन की पुलिस रिमांड मिलने के बाद सीबीआई ने तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन को हिरासत में ले लिया है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले साल सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की साजिश में शहाबुद्दीन हत्या में शामिल आरोपियों के संपर्क में था और जांच से साफ हो गया है कि उसने ही पत्रकार की हत्या का आदेश दिया था। यही कारण है कि अदालत में दाखिल आरोप पत्र में सीबीआई ने शहाबुद्दीन को 10वां आरोपी बनाया है। अब शहाबुद्दीन से पूछताछ के बाद वह उसके खिलाफ अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।

पत्रकार हत्याकांड में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई ने अदालत से शहाबुद्दीन का 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने आठ दिनों तक सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ होगी। सूत्रों के अनुसार पत्रकार की हत्या में शामिल होने से इनकार कर रहे शहाबुद्दीन को लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरने के लिए कहा गया है। यदि वह राजी होता है तो इसी हफ्ते उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगा। यदि वह इनकार करता है, तो सीबीआई उसके इनकार को पूरक सुबूत के तौर पर पेश कर सकती है। राजदेव रंजन की पत्नी ने एफआईआर में पति की हत्या के लिए शहाबुद्दीन को जिम्मेदार ठहराया था। पिछले साल 13 मई को राजदेव की हत्या कर दी गई थी।

गौरतलब है कि शहाबुद्दीन हत्या और जबरन वसूली के 45 से अधिक मामलों में आरोपी है।

सारण के चंद्रकेश्वर प्रसाद की अपील पर इसी साल फरवरी में उसे सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। शहाबुद्दीन चंद्रकेश्वर प्रसाद के दो बेटों की हत्या का आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रकेश्वर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि शहाबुद्दीन सिवान की जेल में केस गवाहों को धमकाता है, इसलिए उसे दूसरे जेल में भेज दिया जाना चाहिए। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

# विचाराधीन कैदियों को तोहफा देने की तैयारी, जमानत की शर्तें होंगी आसान

नई दिल्ली। भारत की न्यायिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी त्रासदी जेल में सजा काट रहे कैदियों को लेकर है। बहुत से विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जिन्हें केवल इस वजह से जमानत नहीं मिल पाती, क्योंकि आर्थिक तौर पर वह अक्षम है, तो कई ऐसे भी हैं जो कई सालों तक जेल में यूं ही बंद रहते हैं।

लेकिन, अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकार उन विचाराधीन कैदियों को खुशियों की सौगात देने जा रही है जो खतरनाक श्रेणी के नहीं हैं और अपनी सजा का एक तिहाई हिस्सा या ढ़ाई साल जेल में काट चुके हैं। इन्हें जमानत पर रिहा होने के लिए केवल अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज ही देने होंगे। लॉ कमीशन इन कैदियों को राहत देने के लिए जल्दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धारा 436 ए में संशोधन की सिफारिश करने जा रहा है। विचाराधीन कैदियों के बाबत लॉ कमीशन को नया एक्ट बनाने का जिम्मा कानून मंत्रालय ने दिया था। इसमें केवल उन कैदियों को शामिल किया जाएगा जो किसी ऐसे अपराध में विचाराधीन हैं जिसमें सात साल तक सजा हो सकती है। कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि नए एक्ट की बजाय मौजूदा धारा में संशोधन ही पर्याप्त होगा। उनका कहना है कि अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अगर पहचान के आधार पर जमानत लेने के बाद कोई कैदी वापस नहीं लौटा तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाएं। उनका कहना है कि यह सवाल बड़ा है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अधिकारी का कहना है कि अभी देखने में आया है कि मौजूदा धारा उन कैदियों के लिए मुफीद है जो आर्थिक तौर पर सक्षम होते हैं। जमानत के लिए श्योरिटी देने में इन्हें परेशानी नहीं होती है, लेकिन उनका क्या जो आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर हैं। वो अपनी रिहाई के लिए श्योरिटी कहां से लेकर आएं।

# नक्सलियों को सजा सुनाने वाले जज को जान से मारने की धमकी

मुंगेर। पांच नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाने वाले मुंगेर (बिहार) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मौत की सजा देने की धमकी दी है। शनिवार को नक्सलियों ने 28 और 29 मई को पांच जिलों में दो दिवसीय बंद का भी एलान किया है।

सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला करने के मामले में सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश श्रीवास्तव ने गत गुरुवार को पांच नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके विरोध में नक्सलियों ने 28 और 29 मई को मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बांका और भागलपुर में बंद का एलान किया था। बिहार-झारखंड जोनल कमेटी के कथित प्रवक्ता लालजीत कोड़ा के नाम से जारी पत्र में जज ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को जन अदालत में मौत की सजा देने की बात कही गई है। पत्र में फांसी की सजा पाए पांचों आरोपियों विपिन मंडल, बानो कोड़ा और मन्नू कोड़ा को निर्दोष बताया गया है। इधर एसपी आशीष भारती ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले के सभी थानों को अलर्ट करने के अलावा न्यायाधीश के आवास पर अतिरिक्त पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहीं न्यायाधीश श्रीवास्तव का कहना है कि न्यायालय सबूत और गवाह के आधार पर सजा सुनाती है। ऐसी धमकी से मैं कर्त्तव्य पथ से नहीं डिग सकता।

# कलिखो खुदकशी मामले में केस दर्ज करने की याचिका रद, जुर्माना

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कलिखो पुल की खुदकशी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग संबंधी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने याचिकाकर्ता नेशनल लॉयर्स कैंपेन फोर ज्यूडिशियरी ट्रांसपेरेंसी एंड रिफार्म संस्था पर दो लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सुसाइड नोट की सत्यता की जांच नहीं की। उन्होंने न कभी सुसाइड नोट की मूल कॉपी देखी न उसे पाने का प्रयास किया। केवल वाट्सएप आदि के आधार पर याचिका दायर कर दी गई। याची के पास नोट की सत्यता साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि याची एक व्यस्त संगठन है जिसने केवल तीखे आरोप लगाए हैं और अफवाहों पर याचिका दायर की है। ऐसे में याचिकाकर्ता संस्था व उसके 10 सदस्यों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाता है। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह जांच करना पुलिस व सीबीआई का काम है कि सुसाइड नोट असली है आरोपी सही है या नहीं। गौरतलब है कि कालिखो पुल का शव 9 अगस्त 2016 को ईटानगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में लटकता हुआ मिला था। कलिखो के सुसाइड नोट में राजनीति और न्यायपालिका से जुड़े कई लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड नोट में शीर्ष जजों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। 23 फरवरी को इस मामले में कलिखो पुल की पत्नी डंगविमसई पुल ने मामले की सीबीआई व एनआईए जांच करने संबंधी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी। कलिखो की पत्नी ने सुसाइड नोट का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी।

## खरी-खरी

# सीबीआई जांच की मांग मुर्ख व शातिर करते हैं

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail : manchandkhandela.@gmail.com

अगर मैं यह कहूं कि किसी मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व सीबीआई जैसी किसी एजेंसी से जांच की मांग करने वाले अधिकांश लोग मूर्ख या उच्च किस्म के चालाक होते हैं तो कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं कि "यह लेखक स्वयं मूर्ख है।" इनके सम्बन्ध में अविश्वास का वातावरण पैदा कर रहा है, अराष्ट्रवादी है, 'हो सकता है', अपनी किसी व्यक्तिगत असफलता को छिपाना चाह रहा है। वर्तमान सरकार का विरोधी है या देश के कानून से बेखबर है। मैं इन सब आरोपों को सहन करके भी मैं इस मत से ही सहमत हूं। मेरी यह अवधारणा सीबीआई में दो एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पांच मामलों में प्रत्यक्षतः जुड़े होने से प्राप्त पिछले 6 वर्षों के अनुभव, अनेक मामलों की अंदर की गहन जानकारी, विभिन्न क्षेत्रों से मिली जानकारी तथा लोगों से मिलते रहने से विकसित अवधारणा है।

यह सही है कि इनके सम्बन्ध में 'ऊंची दुकान, फीके पकवान', 'नाम बड़े और दर्शन छोटे', 'हम चौड़े, बाजार सकड़े', 'बड़े घरों में बेटी दी, मिलने का ही खेंसा', 'गोपनीयता अन्याय को बढ़ाती है', 'समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर', 'सरकार जो चाहे वह करवा सकती है', 'गांधी जी की फोटो हर जगह चलती है', 'भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है', 'मुद्रा के सामने वैश्या और अफसर समान रूप से नाचते हैं', 'जांच अधिकारी अंतिम होता है'। और सबसे महत्वपूर्ण यहां की अदालतों में भी न्याय मिलता नहीं फैसले की कॉपी मिलती है। इस सम्बन्ध में मेरा व्यवहारिक अनुभव व साइलेंट ओबजरवेशन तो यही बताता है। इसी कारण से सूचनाधीन तथा चालाक लोग बेवकूफी में हर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करता है। पहले प्रकार के लोगों को यह गलतफहमी होती है कि यहां मामला पहुंच जाने पर जांच निष्पक्ष, बिना दबाव के, यथाशीघ्र और कानूनी प्रावधानों के ही अनुसार होगी। जो अधिकांश मामलों में शुद्ध गलतफहमी होती है। दूसरी ओर शातिर अपराधी, माफिया, राजनीतिकबाज, मंत्री, अफसर, समाज कंटक, सांसद, विधायक, बड़ा व्यापारी व उद्योगपति, कर चोर, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आदतन सीबीआई जांच की बात पर बड़ा ऐतराज यह कहते हुए नहीं करता है कि 'हमारा न्यायपालिका में पूरा विश्वास है' तथा सरकारें चालाकी से कहती रहती हैं कि 'न्याय देने के लिए कानून अपना काम करेगा।' जबकि अधिकांश मामलों में ऐसा कहना झूठ, दिखावा, शातिरों का कृत्य, धोखेबाजी और सार्वजनिक रूप से बेवकूफ बनाना ही होता है।

जांच एजेंसी में जांच जिस तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से होती है उसको स्पष्टतः मैंने महसूस बल्कि बर्दाश्त किया है। सीबीआई के दोनों मामलों में मैंने याने हमारे समूह ने करीब 99 प्रतिशत दस्तावेज उपलब्ध करवाये हैं। जिन एक दो प्रतिशत में जांच अधिकारी को दस्तावेजी सबूत लाने थे उसके लिये यथा समय छापा मारने सम्बन्धित व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने, मूल पत्र व दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संबंधित जयपुर विकास प्राधिकरण व विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कार्यालय में बुलाकर पूछताछ करने के जो काम करने थे वे तीन वर्ष की अवधि में भी पूरे नहीं किये तथा सीबीआई में जो शिकायतकर्ता है उसे ही आरोपों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, पुख्ता दस्तावेज लाकर देने पड़ते हैं, नियम व कानून की फोटो कॉपी देनी होती है, पूर्व में निर्णित मामलों का लिखित प्रमाण बताना पड़ता है और उसका केवल काम उनमें भी कमी निकालने का ही होता है। मेरे अनुभव में तो जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच तो कर ही नहीं पाता है क्योंकि उसे 'प्रतिफल का हथियार' ऊपर वाले अधिकारी की मंशा, आरोपित द्वारा पहुंचाई गई सिफारिश एवं दबाव, न्यायपालिका के आशंकित रुख तथा आरोपितों की समाज में ताकत का जाने-अनजाने ख्याल रखना पड़ता है।

सीबीआई में मामला निपटाने बल्कि न्यायालय में प्रस्तुत करने की कोई अंतिम सीमा रेखा समय की नहीं है तथा जांच अधिकारी को कानूनी रूप से उसके वरिष्ठ अधिकारी कोई आदेश या निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसीलिए उसके पास किसी भी पक्ष को अनुगृहीत करने का पूरा मौका होता है। मैं जिस अनुभव की बात करता हूं उसमें एसएस जैन सुबोध शिक्षा समिति जिसने जेडीए से प्राप्त बताये उस एक पेज के आधार पर अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद से एमबीए प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त कर ली जिसमें बस इतना लिखा था 'इस क्षेत्र में कोई शैक्षणिक कार्यों से सम्बन्धित संस्था खोली जाती है तो उसे कोई एतराज नहीं है।' जबकि समिति के पास उस जमीन का पट्टा या रजिस्ट्री या क्रय पत्र आदि कुछ भी वैधानिक दस्तावेज अधिकार सम्बन्धी नहीं है। जबकि मान्यता दिये जाने की पहली शर्त ही जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज संबंधित संस्था के पास होने की है। यह बात जांच अधिकारी के प्रसंज्ञान में लिखित सबूत बता कर लाई गई। फिर भी परिषद के उन लोगों के विरुद्ध आरोप निर्धारित नहीं किये जिन्होंने मान्यता के लिये प्रथम बार इंस्पेक्शन किया था। जब इस संबंध में ऐसा किया गया उसका कोई तो 'अर्थपूर्ण' मतलब है ही। जबकि यहां तो बाल की खाल निकलती है।

मैं यहां किसी केस विशेष की व्याख्या नहीं कर रहा हूं इसलिए सीबीआई की जांच से शातिर लोगों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, इसका विश्लेषण करना चाहता हूं। सभी शातिर लोग सीबीआई जांच की मांग का वास्तविक विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि इससे मामला लटक जाता है। क्योंकि जांच पूरी होने की समय सीमा नहीं है। यहां सामान्य पुलिस से भी 'मैनेज' करना तुलनात्मक रूप से बहुत आसान होता है। क्योंकि इसका भ्रम ज्यादा होने के कारण मैन्युपुलेट करना सरल होता है। बस साठ-गांठ केवल एक ही व्यक्ति या उच्चतर स्तर पर करनी होती है। मैं जिस केस की बात करता हूं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा फाइल एफआर के लिये संयुक्त निदेशक के स्तर पर चली गई तो हिम्मत जुटाकर इस बात की शिकायत की गई तो मामले की जांच फिर उस अधिकारी को दी गई जिसने प्राथमिक रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन अबकी बार 'नजारा' सब कुछ बदला बदला सा था। पहली बार जिस जांच अधिकारी ने तीन लोगों को आरोपित बनाया था अबकी बार उस एक व्यक्ति को आरोपित बनाया गया जिसका आरोपमुक्त होना निश्चित था। यह बात सुनवाई के दौरान संबंधित न्यायाधीश द्वारा ही इन शब्दों में कही गई कि "आप उस व्यक्ति पर आरोप लगा कर आये हैं जिस सामान्य आरोप है तथा जिन पर गंभीर आरोप है उनको आरोपित बनाया ही नहीं।" जबकि जज ने कई लोगों को आरोपित बनाने के लिए जांच अधिकारी को सीधा कहा लेकिन जांच अधिकारी को पता नहीं किस कारण से जज की बात की उपेक्षा लगातार करता रहा। स्पष्ट लग रहा था जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं करने को कटिबद्ध सा था। ऐसा अगर नहीं हो तो उसे कोर्ट में अपमानित होते रहने का क्या कारण हो सकता है? ऊपरी तौर पर साफ लग रहा था कि जिस जांचकर्ता को जांच के दौरान शिकायतकर्ता के पक्ष और आरोपित लोगों के विपक्ष में रहकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए लेकिन 'अज्ञात' कारणों से सबकुछ विपरीत हो रहा था।

पहले जांच अधिकारी ने कुछ पुख्ता दस्तावेज लेकर प्राप्ति रसीद नहीं दी तथा उन पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। इसकी शिकायत की गई तो उसे उसके मूल सामान्य पुलिस विभाग में भेज दिया गया। लेकिन जांच फिर भी आरोपित के पक्ष में ही प्रभावित रही।

अब मेरी समझ में आया कि जो सीबीआई बाकायदा कानून बनाकर गठित ही नहीं की गई तथा उसका अस्तित्व केवल प्रशासनिक आदेश से ही हो गया उसके संबंध में बिना कारण ही निष्पक्ष जांच एजेंसी का ठप्पा लगा दिया गया है। जबकि वहां भी किसी समय पुलिस चौकी पर ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले सामान्य पुलिस वाले ही जांच करते हैं। जबकि उनकी मानसिकता, मनोवृत्ति, कार्यक्षमता, कानूनी ज्ञान, सूचनाएं प्राप्त करने और अन्वेषण करने का स्तर सामान्य ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि जो पुलिसकर्मी दशकों तक सब कुछ गलत, अनियमित एवं दबाव में करता रहा है वह सीबीआई में आते ही 'दूध का धुला' कैसे हो जायेगा? यदि कोई जांच अधिकारी जांच में जानबूझकर गलती करता है याने उसे गलती करने में भी 'मजा' आता है तो उसके लिए सामान्य विभागीय दंड भुगतने को तैयार रहता है। क्योंकि उसे जिससे 'मजा' आ रहा है उसका एक हिस्सा वह मजे में हो सकने वाली किरकिरी संभालने के लिये 'उपयोग' में ले रहा है और उसी के एक भाग से वह अपने पर लगे आरोपों से भी अन्ततः बरी हो ही जाता है। मेरा मानना है कि सीबीआई में भी जांच सामान्यतः सिविल पुलिस की ही तरह सामान्य तरीके से, दबाव व लालच में की जाती है।

तब ही तो लालकृष्ण आडवाणी, जयललिता, राजा, कलमाड़ी, माल्या, मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, शरद पवार, उमा भारती जैसे सैंकड़ों नाम गिनाये जा सकते हैं जहां बस कानून नाकामी से अपना काम कर रहा है, खुलेआम हत्या, बलात्कार, बलवा, डकैती बल्कि राष्ट्रद्रोह करके भी 'इज्जत के साथ' सार्वजनिक रूप से घूम रहे हैं तथा अन्ततः साक्षियों के अभाव में छूट जाते हैं। सलमान खान ने मुम्बई में फुटपाथ पर सरेआम लोगों को कुचल कर मार डाला, जोधपुर में काले हिरण का शिकार कर दिया लेकिन सीबीआई या अन्य जांच एजेंसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। व्यवहार में सब कुछ ऐसा ही होता रहा तो सीबीआई की भी उसी प्रकार खिल्ली आमजन में उड़ने लगेगी जैसी पुलिस की है। इसके लिये इसकी हर गतिविधि को आरटीआई के दायरे में लाने, जांच कार्य को यथासंभव समयबद्ध करने, जांच के समय गवाहों आदि से बातचीत को सीसीटीवी के माध्यम से दर्ज अनिवार्य रूप से करने, उसकी कॉपी सभी संबंधित पक्षों को देने, सभी गवाहों के बयानों को शपथ पत्र के रूप में ही लेने, प्रमाणित हो सकने वाली शिकायत मिलने पर जांच अधिकारी बदलने, उसके सभी टेलिफोन के रिकॉर्ड की व्यवस्था करने, प्राथमिकी रिपोर्ट के बाद मामले में एफआर की स्थिति बने तो सम्पूर्ण मामले की विस्तृत जांच करवाने, सीबीआई में वकील एक परीक्षा के बाद ही लगाने, सभी अधिकारियों के लिये अपनी सम्पत्ति व आय के स्रोतों की वार्षिक घोषणा समय पर नहीं करने पर सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई करने, आवश्यक स्टाफ बढ़ाने हर संभव क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग संभव बनाने और यथानुसार इसे स्वायत्तता देने जैसे कदम तुरन्त उठाने ही चाहिए।

# तीन तलाक पर मंजूर होगा अदालत का फैसला

## पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, उसके बाद तय करेंगे आगे की रणनीति

नई दिल्ली। तीन तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पक्ष में निर्णय आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि अदालत का जो भी फैसला होगा उसे वह स्वीकार करेगा और निर्णय आने के बाद आगे की रणनीति तय करेगा।

पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने कहा कि अदालत का फैसला आने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। वैसे हमने न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखा है और ऐसे में बेहतर होने की उम्मीद की जानी चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वो हम मानेंगे। अदालत कोई आंख बंद करके फैसला नहीं करने जा रही है, यह तय है। यह कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें कोई उलझाव पैदा हो। अदालत ने कहा जो वो हमने कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय पीठ ने तीन तलाक के मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। यह पूछे जाने पर कि अदालत का फैसला बोर्ड के रुख के खिलाफ आने पर क्या 1980 के दशक के शाह बानो प्रकरण की तरह के हालात पैदा हो सकते हैं तो मौलाना रहमानी ने कहा, इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उस वक्त के हालात दूसरे थे, इस समय हालात दूसरे हैं। जब तक अदालत का निर्णय नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना या फैसला करना मुश्किल है। तीन तलाक पर मीडिया के रुख को लेकर कटाक्ष करते हुए रहमानी ने कहा कि मीडिया के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि भारत का सबसे अहम मामला तीन तलाक है। पिछले डेढ़ साल से टीवी पर यही बहस चल रही है। मीडिया का अपना बिजनेस है और वह इसी को ध्यान में रखकर बहस कर रहा है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि बोर्ड के बारे में लोग अपने हिसाब से बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि बोर्ड रूढ़िवादी है और कभी कहते हैं कि वह सुधार करना चाहता है। लोगों को जो कहना है वो कहेंगे। हम लोगों को बोलने से तो रोक नहीं सकते। मौलाना वली रहमानी ने दावा किया कि तीन तलाक के मामले में मुस्लिम समुदाय का रुख पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय का रूख स्पष्ट है। बोर्ड के पक्ष में चार करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से दो करोड़ 72 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर शामिल हैं। इससे साफ है कि समुदाय का रुख किस तरफ है। तीन तलाक के मामले पर पाकिस्तान और कुछ दूसरे मुस्लिम देशों द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला दिए जाने पर मौलाना रहमानी ने कहा कि गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। चीजें मौजूद हैं, लेकिन सही ढंग से बताई नहीं जा रही हैं। लोग पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। हम कोई पाकिस्तान के पिछलग्गू थोड़े हैं। देश में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए रहमानी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीर हैं। इस पर बहस नहीं हो रही है। सब खामोश हैं।

### पाक के पिछलग्गू नहीं : मौलाना रहमानी

**तीन तलाक के मामले पर पाकिस्तान और कुछ दूसरे मुसलिम देशों द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला दिए जाने पर मौलाना रहमानी ने कहा, 'गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। चीजें मौजूद हैं, लेकिन सही ढंग से बताई नहीं जा रही हैं। लोग पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। हम कोई पाकिस्तान के पिछलग्गू थोड़े हैं।'**

# हवाला के जरिए भी हुई भीम आर्मी को फंडिंग

सहारनपुर। सहारानपुर में जातीय हिंसा के आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ रावण की भीम आर्मी को भी विभिन्न दलों के नेताओं के अलावा हवाला के जरिए भी फंडिंग की गई। पिछले दो महीने में भीम आर्मी के एकाउंट में एकाएक 40-50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। सोशल मीडिया पर भीम आर्मी ने आर्थिक सहायता की अपील की थी। भीम आर्मी के लिए शामली का नीटू गौतम फेसबुक से पेटीएम के जरिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। उसने अपना पेटीएम नम्बर (8527533051) तक दे रखा है। खाते में पैसा मंगाने के लिए निखिल सबलानिया का एसबीआई अकाउंट नंबर (36618032083) दिया गया है। जिसका ब्रांच कोड 1275, करोल बाग नई दिल्ली है। एयरटेल मनी से भी (8527533051) चंदा मांगा था।

मुख्यमंत्री के आदेश पर इस मामले की जांच कर रही टीम में शामिल एडीजी कानून व्यवस्था आदित्य मिश्रा, एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश व विभिन्न 18 टीमों की जांच में यह राज फाश हुआ है। सूत्रों की मानें तो चंद्रशेखर रावण को कुछ सियासी दलों से प्रोत्साहन मिल रहा था। बसपा के साथ कांग्रेस के छह नेताओं की भूमिका की भी जांच हो रही है। चंद्रशेखर छुटमलपुर का निवासी है। उसके इलाके में पड़ने वाले बूथों पर डाली गई वोट का भी आंकड़ा निकाला जा रहा है। इससे पता चल सके कि उसका सियासी संरक्षक कौन है। जांच में स्पष्ट हुआ कि दो महीने पहले सहारनपुर की फिजा में नफरत का जहर घोलने की साजिश रची गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, भीम आर्मी को आर्थिक मदद दिलाने में देहरादून के एक बैंक अधिकारी की भी अहम भूमिका है। कथित तौर पर इसने पेटीएम और अन्य माध्यमों से भीम आर्मी को भारी राशि ट्रांसफर की। सूत्रों के अनुसार, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पथराव के वक्त कपड़ा बांधकर पहचान छिपाते हैं। यह तरीका उन्होंने कश्मीरियों से सीखा है।

**सभी पहलुओं पर जांच :** सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्रा, एडीजी कानून व्यवस्था आदित्य मिश्रा व एसटीएफ के आइजी अमिताभ यश का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। प्रशासन अब जनता से भी दंगों के मोबाइल वीडिया और तस्वीरों को पुलिस के साथ साझा करने की अपील करेगा। इनके जरिए मुख्य आरोपियों और शरारती तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बेकसूर लोगों को तंग नहीं करेगी। मीडिया से भी फुटेज लिया जाएगा। सचिव गृह मणि प्रसाद मिश्रा ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ जांच पूरी करके लखनऊ चले जाएंगे।

प्रदीप चौहान पर अफसरों की निगाह : चकहरेटी में हमलावरों की गोली से जख्मी हुए प्रदीप चौहान की हालत नाजुक बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हालत में जल्द सुधार ना हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। पुलिस-प्रशासन के अफसर लगातार उनकी हालत के बारे में अपडेट ले रहे हैं। आसनवाली के रहने वाले प्रदीप चौहान को चकहरेटी में गोली मारी गई थी। बाद में हायर सेंटर रेफर किए गए। प्रमोद के शरीर से तीन घंटे चले ऑपरेशन के दौरान गोली निकाली गई।

### ठाकुर विरोध से आया चर्चा में

*खुफिया व आईबी के अनुसार, भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर 2008-09 के बीच दलितों में चर्चाओं में आया। उस वक्त वह सहारनपुर के एएचपी इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। वहां उसने दलितों के लिए अलग पानी का नल होने पर आपत्ति जताई और ठाकुरों का विरोध किया था। इस कॉलेज में दो अलग नल थे, एक से दलित पानी पीते थे तो दूसरे से उच्च वर्ग के छात्र (ज्यादातर ठाकुर)। 17 अप्रैल, 2016 को सहारनपुर के दलियापुर से दलितों की बरात गुजरने का उच्च वर्ग ने विरोध किया। भीम सेना ने इसका भी विरोध किया था।*

# समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता का मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि केन्द्र सरकार को पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। यह याचिका राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्ष फरहाज फैज ने दायर की है।

पेशे से वकील फराह फैज ने मुस्लिमों में प्रचलित तीन तलाक, चार शादियां और निकाह हलाला को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। तीन तलाक के मुद्दे पर कोर्ट 11 मई से होने वाली सुनवाई में विचार करेगा। पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि 14 फरवरी को तीन तलाक मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की पीठ ने कहा था कि वह सिर्फ तीन तालक और बहुविवाह पर विचार करेगी। पीठ ने समान नागरिक संहिता पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसी कारण यह अलग याचिका दायर की गई है।

याचिका के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, राजनीति के चलते संसद ने सिर्फ हिन्दू कानूनों के अधिनियम ही पास किए। यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ है। देश का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा समुदाय होने के बावजूद मुस्लिमों को कभी नहीं छुआ गया। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। इसलिए यह मुद्दा कोर्ट में उठाया गया है। कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे कि वह देशभर के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करे, ताकि मुसलमान प्रगतिवादी सुधारों से वंचित न रहें। याचिका में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता कोई नया सिद्धान्त नहीं है। मुहम्मद साहब ने मदीना चार्टर, जो कि दुनिया का पहला लिखित संविधान है, में इसे प्रस्तुत किया है। इस देश में विभिन्न जाति, वर्ण, समुदाय के लोग रहते हैं। यहां शादी, तलाक, संरक्षक और उत्तराधिकार के कानून हिन्दू, मुस्लिम और इसाई धर्मों में अलग-अलग हैं। विभिन्न पर्सनल लॉ में कोई समानता नहीं है। पर्सनल लॉ में अधिकार धर्म और लिंग पर आधारित हैं। दूसरी तरफ शादी, तलाक, उत्तराधिकार आदि सामाजिक मुद्दे हैं और ये धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं। इसलिए इन्हें कानून से नियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 44 संविधान में दिए गए धार्मिक आजादी (अनुच्छेद 25 और 26) का उल्लंघन नहीं करता। उदाहरण के तौर पर हिन्दू कोड बिल सिर्फ हिन्दुओं के लिए नहीं है। यह सिख, बौद्ध और जैन पर भी लागू होता है।

# स्टेनोग्राफर ने कोर्ट कार्यवाही बीच में रोकी कहा मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है-मुझे जाना है

नई दिल्ली। तीस हजारी की एक विशेष सीबीआइ अदालत में गत दिनों अनोखा मामला देखने को मिला। अदालती कार्यवाही के बीच अचानक एक स्टेनोग्राफर उठकर जाने लगी। उसने कोर्ट परिसर के बाहर कैब खड़ी होने का हवाला देते हुए कहा कि उसे तुरन्त निकलना है। इसके बाद वह चली गई। नए स्टेनोग्राफर का इंतजाम होने तक अदालती कार्यवाही रुकी रही।

इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए न्यायाधीश ने जिला जज के समक्ष मामले को भेजते हुए स्टेनोग्राफर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट स्टाफ ने अदालत का अपमान करने का प्रयास किया है। लाइव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही सुनवाई के बीच उसका इस तरह से जाना अदालती कार्यवाही को हाईजैक करने के समान है। यह घटना बेहद गंभीर है। इससे अदालत की छवि पर गहरा धक्का लगा है। यह घटना बीते सप्ताह की है। अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोलकाता के किसी गवाह के बयान दर्ज हो रहे थे। इसी बीच शाम 4.25 बजे महिला स्टेनोग्राफर अचानक खड़ी हो गई। उसने कहा कि अदालत परिसर के बाहर उसकी कैब खड़ी है और उसे तुरन्त निकलना होगा। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की समय अवधि पांच बजे समाप्त होती है। महिला ने जवाब दिया कि निकलते-निकलते पांच बज ही जाएंगे। वह अधीक्षक दफ्तर में हाजिरी के लिए पंच करने के बाद ही निकलेगी। मुझे जाना है, मुझे जाना है बोलते हुए वह चली गई। हालांकि महिला कुछ समय बाद अदालत लौट आई। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि आप इस बात का निर्णय नहीं कर सकती हैं कि कब आपको काम करना है और कब नहीं। उसे अधीक्षक दफ्तर में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के शिष्टाचार का उल्लंघन करने पर स्टेनोग्राफर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं करके मामले को केवल जिला जज के समक्ष भेजा जा रहा है।

## हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस का पटियाला हाउस कोर्ट में छापा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की विजिलेंस शाखा की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट की एक अदालत में छापेमारी करने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस की टीम 26 मई को ट्रायल कोर्ट पहुंची और अदालत से तीन कम्प्यूटर सील कर अपने साथ ले गई।

अदालत के सूत्रों के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का तबादला पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली की किसी अन्य अदालत में कर दिया गया था, लेकिन नई अदालत में कार्यभार संभालने से पूर्व उन्होंने पुरानी अदालत में आनन-फानन में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपों की पुष्टि करने के लिए जब्त किए गए तीन कंप्यूटर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। कंप्यूटरों की जांच के दौरान इस बात की पड़ताल की जाएगी कि इन्हीं कंप्यूटर से उक्त संदेहजनक आदेश टाइप किए गए हैं या नहीं। न्यायाधीश के खिलाफ हाई कोर्ट को भ्रष्टाचार के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। वह उस वक्त संदेह के घेरे में आ गए थे, जब उन्होंने बीते दिनों घर दिलाने के नाम पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के आरोपी दिल्ली-एनसीआर के नामचीन बिल्डर बंधुओं को जमानत प्रदान कर दी थी। इतने संवेदनशील मामले में गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद बिल्डर बंधुओं को जमानत प्रदान करना चर्चा में रहा था। जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले बीते वर्ष तीस हजारी अदालत की वरिष्ठ सिविल जज रचना तिवारी लखनपाल को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

# स्टेनोग्राफर के काम की जिम्मेदारी अहलमद को उठानी होगी

*नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया, जिसे पढ़ने के बाद यहां काम करने वाले सभी अहलमद हैरत में पड़ गए। दरअसल, सर्कुलर में कहा गया है कि स्टेनोग्राफर के छुट्टी पर होने और उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अदालत में काम करने वाले अहलमद जज के स्टेनोग्राफर का काम संभालेंगे। माना जा रहा है कि बीते दिनों तीस हजारी कोर्ट में एक महिला स्टेनोग्राफर के अदालती कार्यवाही के बीच उठकर जाने के कारण पैदा हुई स्थिति से बचने के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया है।*

*स्टेनोग्राफर और अहलमद दोनों अलग-अलग कैडर से आते हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है। स्टेनोग्राफर का काम जज द्वारा बोले गए आदेशों के नोट्स बनाकर बाद में उन्हें टाइप करने के बाद जज के सामने पेश करना होता है ताकि जज के हस्ताक्षर के बाद आदेशों की कॉपी को आरोपी और पीड़ित पक्ष को दिया जा सके। वहीं, अहलमद अदालत में चल रहे सभी मामलों के रिकॉर्ड की देखरेख करता है। अहलमद रोजाना की तारीख से सम्बन्धित फाइलें जज के समक्ष पेश करता है।*

*साकेत जिला अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिश कठपालिया ने कहा कि हर अदालत में अमूमन दो स्टेनोग्राफर होते हैं। जिन अदालतों में केवल एक स्टेनोग्राफर हैं, वहां उसके छुट्टी पर होने पर असिस्टेंट अहलमद स्टेनोग्राफर का काम संभालेंगे। जिन अदालतों में असिस्टेंट अहलमद नहीं हैं या फिर वह छुट्टी पर है, तब अहलमद स्वयं स्टेनोग्राफर का काम करेगा।*

*सर्कुलर में आगे कहा गया कि जो भी स्टाफ छुट्टी पर जाना चाहता है, उसे सुबह अधिकतम 1.15 बजे तक अदालत में इसकी जानकारी देनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसे अवैध रूप से छुट्टी लेना माना जाएगा। जिन अदालतों में दो स्टेनोग्राफर कार्यरत हैं, वहां एक समय में केवल एक स्टेनोग्राफर को ही छुट्टी दी जाएगी ताकि अदालत का कामकाज प्रभावित नहीं हो।*

# जजों को प्रशिक्षण देने की जरूरत : हाई कोर्ट

नई दिल्ली। मकोका के एक मामले में निचली अदालत के रवैया पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति आर.के. गाबा ने यहां तक कह दिया कि कुछ खास अधिनियमों के मामले सुनने के लिए जजों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि जिस तरह जज ने उक्त मामले को संभाला है उससे अनैतिकता झलकती है। अदालत ने कहा कि जजों को मकोका जैसे कुछ खास अधिनियमों के मामलों से निपटने के लिए सही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ज्यूडिशियरी अकादमी को ऐसे मामलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना चाहिए।

अदालत पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शौकीन को दिसम्बर 2016 को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया गया था। याची ने निचली अदालत द्वारा उसे जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी। उसका तर्क था कि विगत फरवरी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में रखना गैरकानूनी है। यह नियमों के खिलाफ है। याची का तर्क था कि पुलिस ने तय समय 90 दिनों में अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। वह जमानत का हकदार है। निचली अदालत ने मामले में पूरक चार्जशीट के आधार पर जमानत देने से इनकार किया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के केवल सरकारी वकील की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने संबंधी निर्णय पर भी नाराजगी जताई। हालांकि हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए रजिस्ट्रार से ऑर्डर की कॉपी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने को कहा है, जिससे वह ऐसे मामलों के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करें।

# जज ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिता को क्या सजा दें

नई दिल्ली। दुनिया की किसी अदालत में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, जब जज ने बच्चे से ही अपने पिता की सजा तय करने को कहा हो। अमेरिका के एक म्यूनिसिपल कोर्ट (रोडे द्वीप) में जज ने ऐसा ही किया। बच्चे कि पिता पर कार पार्क करने में यातायात नियमों को धता बताने का आरोप था। यह शख्स सजा सुनाए जाने के दिन अपने पांच साल के बेटे के साथ कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई पूरी हो चुकी थी कि अचानक न्यायाधीश की नजर बच्चे पर गई। जज ने तुरन्त बच्चे को पास बुलाया और गोद में बिठा लिया। फिर कुछ हल्की-फुल्की बातें कर उसके पिता की सजा मुकर्रर करने में मदद मांगी। जज ने बच्चे को तीन विकल्प दिए। कहा- मैं 90 डॉलर का दंड लगा सकता हूं, 30 डॉलर का जुर्माना लगा सकता हूं या फिर यूं ही जाने दे सकता हूं। तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद बच्चे का मासूमियत भरा जवाब जज समेत पूरे रूम को चकित कर गया। बच्चे ने बस इतना भर कहा- आप बहुत अच्छे जज हो। बच्चे का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फेसबुक पर इस वीडियो को 24 घंटे से भी कम समय में 80 लाख से अधिक लोग देख चुके थे। सोशल मीडिया पर बच्चे की तारीफ हो रही है। मासूम ने किस तरह अपने पिता के केस में बिना पक्षपात के प्यारा सा जवाब दिया।

### टीवी पर भी हुआ प्रसारण

एक फेसबुक यूजर ने कहा, जज भी शायद कार गलत पार्क करने वाले शख्स पर कार्रवाई न कर नसीहत देना चाहते थे। इसलिए उसके बेटे को चुना। बच्चे को भी सही-गलत की पहचान कराई। एक व्यक्ति ने कहा, अगर वह उनका बेटा होता तो गर्व से भर गए होते। अदालती कार्यवाही को टीवी पर भी प्रसारित किया गया।

# लोक सम्पत्ति संरक्षण समिति, राजस्थान

## लोक सम्पत्ति संरक्षण समिति, राजस्थान के सदस्यों के सूचनार्थ निवेदन

विनीत

लोक सम्पत्ति संरक्षण समिति, राजस्थान

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (बी.पी. मिश्रा) | (पी.एन. मैन्दोला) | (रमेश यादव) | (रविन्द्र सिंह) | (सुरेश चौहान) | (गौरव कुलश्रेष्ठ) |
| अध्यक्ष | सचिव | उपाध्यक्ष | उपसचिव | कोषाध्यक्ष | प्रवक्ता |
| मो. 8094002001 | मो. 7597890980 | मो. 8740934054 | मो. 9829012300 | मो. 7340191487 | 7891529840 |

मान्यवर साथियों,

तीन दशक पूर्व संविधान के अनुच्छेद 51(क) के तहत नागरिक कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु संस्था का गठन किया गया। इस क्रम में हमारी आंशिक प्रगति सूचित की जा रही है–

1. यह कि पॉलिसी मैटर (शासन-प्रशासन के नीतिगत मुद्दे) के प्रकरणों में नागरिक समाज, सिविल सोसायटी का हस्तक्षेप लगभग शून्य है। हमने प्रयासकिया कि जो भी संगठन, जिस रूप में शासन की नीतियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वे लॉग टर्म (लम्बे समय) की नीति पर काम करें। इस पर कोई प्रयास कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने अकेले ही अनेक नीतिगत मुद्दों को उठाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्पर्क पोर्टल पर हमारे 200 से अधिक परिवाद दर्ज हैं। शासन की नियत सुशासन की नहीं है।
2. यह कि जन संघर्षों में बिखराव है, उनमें तालमेल नहीं है, तालमेल का प्रयत्न होना चाहिए, ताकि दबे-कुचले लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि वोट डालना लोकतंत्र नहीं है, नागरिक भागीदारी ही वास्तविक लोकतंत्र है व दबे-कुचले लोगों का भी उत्थान तभी संभव है।
3. यह कि जयपुर शहर के बरामदे न्यायालय के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त कराये गये हैं, आज की स्थिति है, जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं, न्यायालयों की भूमिका प्रमुख है।
4. यह कि हमारी निम्न जनहित याचिकाएं उच्च न्यायालय में न्यायाधीन हैं:-
   (i) डी.बी. सिविल जनहित याचिका 9497/2007 - द्रव्यवती नदी का संरक्षण।
   (ii) डी.बी. सिविल जनहित याचिका 10655/2015 - पूर्व रियासतों की वे सम्पत्तियां, जो राजस्थान राज्य को आनी थी, वे नहीं आई।
   (iii) डी.बी. सिविल जनहित याचिका 7365/2015 - धार्मिक स्थलों का सड़कों, पार्कों में निर्माण।
   (iv) डी.बी. सिविल जनहित याचिका 6512/2017 - रामगढ़ बांध का संरक्षण।
   (v) एस.बी. सिविल रिट 13951/2016 - चन्दू बदरान की बावड़ी में अतिक्रमण।
   (vi) एस.बी. प्रथम अपील 88/2012 - राजमहल पैलेस की भूमि राज्य की हो।
   (vii) डी.बी. सिविल जनहित याचिका 5907/2008 (जोधपुर) - मास्टर प्लान में फेरबदल।
5. यह कि अनेक प्रकरणों में हमारी भागीदारी, हस्तक्षेप व्यापक लोकहित को केन्द्र में रखते हुए की जाती रही है, बिजली की दरों में बढ़ोतरी - एक लाख छह हजार करोड़ का घाटा भ्रष्टाचार के कारण, प्राधिकरण में हर वर्ष 10 करोड़ का भ्रष्टाचार, एक-एक व्यक्ति के पास पचास से सौ भूखण्ड, सम्पदा का कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण, सरस डेयरी में लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी, जयपुर की नकारा सफाई व्यवस्था, विधान परिषद के गठन का विरोध, 308 कच्ची बस्तियों का नियमन, नकारा सूचना आयोग, संवैधानिक संस्थाओं का शासन द्वारा अवमूल्यन, वार्ड समितियों का गठन नहीं करना, शहरी व्यक्तियों के पास गांव में भूमि स्वामित्व नहीं हो, जो भूमि जोत नहीं सकता, हल की मूठ पकड़ नहीं सकता, वह भूमि का मालिक कैसे हो सकता है? आदि मुद्दों पर हमने प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाई है।
6. यह कि जोधपुर वाली रिट में पैरवी साथी रविन्द्र करेंगे।

अंत में आप सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था सुधार व व्यवस्था परिवर्तन एक लम्बी प्रक्रिया है, जो कई सालों तक चलती है। इसमें निरन्तरता का होना, चिन्तन, चरित्र, प्रतिबद्धता व स्वयं का सर्वांगीण विकास के साथ सभी साथियों को एक साथ लेकर क्रमश: हर क्षेत्र में विकास व पहल करने की भावना में ही परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है।

क्या इस प्रक्रिया से हम अपने आपको जोड़ सकते हैं, स्वयं के लिए तो अधिकांश जीते हैं, परन्तु दबे-कुचले लोगों को केन्द्र कर यदि संयुक्त प्रयासहो, तो एक दिन परिवर्तन, परिमार्जन अवश्य होगा। आईये मिलकर भागीदारी सुनिश्चित करें।

आपसे यह भी सहयोग है कि आप अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार समिति को आर्थिक सहयोग करते रहेंगे, आपको तकाजा नहीं करना पड़े, यह सुनिश्चित करें।

# सर्व सेवा संघ

(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)

महादेवभाई भवन, सेवाग्राम, वर्धा-442102 (महाराष्ट्र)

फोन नं. 07152-284061, 284091 फैक्स 284152

पत्रांक : 29/2017-18 दिनांक : 21 अप्रैल, 2017

**आदरणीय श्री रामदयाल जी,**

जयजगत।

आपका 2 अप्रैल 2017 का पत्र तथा रुपये 10,000/- का चेक मिला। धन्यवाद।

आप अपनी अस्वस्थता के बावजूद चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन एवं सर्व सेवा संघ के अधिवेशन में आये, यह सर्वोदय आन्दोलन के प्रति स्नेह दर्शाता है।

आपका जीवन सर्वोदय आन्दोलन के प्रति समर्पित है। इसे देखकर हमारा भी उत्साह बढ़ता है। आपकी लेखनी भी सर्वोदय की ही भाषा बोलती है।

आप स्वस्थ रहें एवं हमें प्रेरणा देते रहें ऐसी कामना है।

इसके साथ उक्त रकम की रसीद एवं 80 जी सर्टिफिकेट संलग्न है।

'सर्वोदय जगत' के लिए भी अपनी कविताएं भेजेंगे तो हमें प्रकाशित कर प्रसन्नता होगी।

23-24 मार्च 2017 को मोतीहारी (बिहार) में भारी उत्साह एवं नये समर्पण की भावना के साथ चम्पारण शताब्दी समारोह सम्पन्न हुआ।

25 मार्च को सर्व सेवा संघ का 85वें अधिवेशन में मुझे सर्व सेवा संघ के 17वें अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इसके लिए आपने जो बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए मैं अपका आभारी हूं।

आशा है भविष्य में भी आपका इसी तरह मार्गदर्शन, शुभकामना, सहयोग एवं आशीर्वाद मिलता रहेगा ताकि हम सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के पथ पर कदम बढ़ाते रहें।

शुभकामना के साथ-

आपका
(महादेव विद्रोही)
अध्यक्ष


पाक्षिक
**न्यायिक ज्वाला**

| | | |
|---|---|---|
| आजीवन | : | रू. 1500/- |
| वार्षिक शुल्क | : | रू. 100/- |
| मासिक | : | रू. 10/- |
| एक प्रति | : | रू. 5/- |

*न्यायिक ज्वाला*
*एसबी-3, ओटीएस के सामने,*
*जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर*
*फोन : 2701029, 2710110*



**परामर्श मण्डल न्यायिक ज्वाला**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री जे.पी. बंसल | सेवा निवृत्त न्यायाधीश |
| 2. | श्री दामोदर मिश्रा | सेवा निवृत्त न्यायाधीश |
| 3. | श्री वी.के. अग्रवाल | सेवा निवृत्त न्यायाधीश |
| 4. | श्री डॉ.पी.एन. रछोया | सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस |
| 5. | डा. मोहिनी शर्मा | एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज |
| 6. | श्री रामदयाल खंडेलवाल | संस्थानिक प्रतिनिधि |
| 7. | श्री विष्णुकांत शर्मा | एडवोकेट |



स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।